Annexure - III

श्री अशोक इंदौरिया, पुत्र श्री राम दास, श्रीयुत अंकुर स्टोन क्शर, ग्राम पेल, डा0 लोधवां, तहसील इंदोरा, जिला कांगड़ा हि0प्र0 द्वारा खसरा संख्याः 724 कुल क्षेत्रफल 04–04–67 हैक्टेयर (निजी भूमि, टैरेस डिपाजिट), मोहाल मैरा बटराह, मौजा मैरा डूमल, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में रेत, बजरी व पत्थर के खनन व संग्रह के प्रस्ताव पर दिनांकः 18.06.2022 को सार्वजनिक सुझाव, विचार, टिप्पणियों एवं आपतियां बारे पर्यावरण जनसुनवाई का आयोजन संबधी कार्यवाही का विवरणः

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांकः 18.06.2022 को प्रातः 11:00 बजे राम लीला मंच, सामुदायिक भवन कयाल, डाकघर खन्नी, ग्रांम पंचायत हडडल, तहसील नुरपूर, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में श्री अशोक इंदौरिया, पुत्र श्री राम दास, श्रीयुत अंकुर स्टोन क्शर, ग्राम पेल, डा0 लोधवां, तहसील इंदोरा, जिला कांगड़ा हि0प्र0 द्वारा खसरा संख्याः 724 कुल.क्षेत्रफल 04–04–67 हैक्टेयर (निजी भूमि, टैरेस डिपाजिट), मोहाल मैरा बटराह, मौजा मैरा डूमल, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में रेत, बजरी व पत्थर के खनन व संग्रह के प्रस्ताव पर दिनांकः 18.06.2022 को सार्वजनिक सुझाव, विचार, टिप्पणियों एवं आपतियां बारे अतिरिक्त, जिला दण्डाधिकारी, जिला कांगडा की अध्यक्षता में पर्यावरण जनसुनवाई का आयोजन किया गया।

इस जन–सुनवाई के दौरान उधोग विभाग, खनन विभाग, जल शक्ति विभाग, स्वास्थ्य विभाग व अन्य विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी गण व निकटवर्ती गावों के प्रधान व स्थानीय जनता भी जनसुनवाई में उपस्थित रहे।

सर्वप्रथम डा0 आर0 के0 नडडा, वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रंण बोर्ड द्वारा जन सुनवाई की पृष्ठ भूमि के आयोजन के उद्देश्य से उपस्थित जनसमूह को अवगत करवाया गया। इसके उपरान्त अध्यक्ष महोदय की अनुमति से जन सुनवाई की प्रकिया आरंभ की गई और कहा गया कि इस परियोजना के सम्बन्ध में कोई भी सुझाव, विचार एवं शिकायत हो तो वे निसंकोच किसी भय एवं दवाव के व्यक्त कर सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा भी परियोजना की जन सुनवाई की पृष्ठ भूमि के आयोजन के उद्देश्य से उपस्थित जनसमूह को अवगत करवाया गया। और कहा गया कि इस परियोजना के सम्बन्ध में कोई भी सुझाव, विचार एवं शिकायत हो तो वे निसंकोच किसी भय एवं दवाव के व्यक्त किये जा सकते हैं। इसके उपरान्त परियोजना के परामर्शदाता को परियोजना के प्रारूप और विस्तृत पर्यावरण प्रभाव निर्धारण के बारे में जन समूह को अवगत करवाने हेतू कहा गया । परियोजना के परामर्शदाता द्वारा परियोजना के प्रारूप और विस्तृत पर्यावरण प्रभाव आंकलन व निर्धारण के बारे में जन समूह को अवगत करवाया गया ।

इस जन सुनवाई की संपूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी भी की गई। जन सुनवाई के दौरान उठाए गए मुद्दों एवं उन पर की गई टिप्पणियों की कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क. सं.	नाम व पता	मुद्दे	उठाए गए मुद्दों पर टिप्पणी

1.	श्रीमति शकुन्तला देवी, गांव कायला, डा0 खन्नी, तहसील नूरपुर जिला कांगड़ा हि0प्र0।	श्रीमति शकुन्तला देवी, द्वारा सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय व उपस्थित सभी विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारी गण, प्रधान, व स्थानीय निवासियों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि मेरे घर में पानी की समस्या है। गर्मियों में पानी की काफी समस्या होती है। मेरे घर न ही कोई नल लगा है और कहा गया है कि आप मेरे घर से सड़क तक पाइपें लगाओ तभी पानी मिलेगा। महोदय से अनुरोध है कि आप कृप्या करके पानी की समस्या को दूर करने की कृपा करें।	अध्यक्ष महोदय द्वारा खनन परियोजना से सम्बन्धित विचार रखने हेतू आग्रह किया गया।
		उन्होंने कहा कि हमारी जमीने नीचे की तरफ है इस परियोजना के कारण पानी का स्तर ओर अधिक नीचे हो सकता है। जिससे पानी की समस्या उप्पन्न हो जाएगी।	परियोजना के परामर्शदाता द्वारा बताया गया कि खनन नदी के बाहर किया जाएगा, इसमें खनन 2 मीटर तक किया जाएगा। यदि खनन करते समय पानी निकलता है तो खनन बंद कर दिया जाएगा इसका पानी के स्तर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। खनन विभाग द्वारा इसका नियमित निरीक्षण भी किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय द्वारा पानी की समस्या के समाधान हेतू जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर समाधान करने हेतू निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय द्वारा उपस्थित लोगों से इस परियोजना से सम्बन्धित सुझाव देने हेतू आग्रह किया।
2	श्री विजय कुमार, प्रधान ग्राम पंचायत हडल, तहसील नूरपुर जिला कांगड़ा हि0प्र0।	उन्होंने सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय व उपस्थित सभी विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारी गण, व स्थानीय निवासियों का धन्यवाद किया और सभी उपस्थित लोगों से खनन परियोजना से सम्बन्धित सुझाव, विचार एवं शिकायत को रखने का अनुरोध किया। ताकि आपके विचारों को रिकार्ड कर उन पर अमल किया जा सके।	————————
3	श्री अनिल शर्मा, गांव कायला, डा0 खन्नी, तहसील नूरपुर जिला कांगडा हि0प्र0।	उन्होंने कहा कि खनन बंद होना चाहिए। हमारे 04 गांवः कायला, हडल, बडराह व मैरा का गुजारा फसलों से होता है और उपर का क्षेत्र पूरी तरह से बंजर है। हमें	परियोजना के परामर्शदाता द्वारा बताया गया कि इस खनन पटटे की सम्बन्धित विभाग द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया है और उनके अनुसार इसमें कोई भी पेयजल

		या तो उपर सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाए या इस खनन को बंद किया जाए। 04 साल पहले सिचांई हेतू खेतों में आसानी से पानी आ जाता था आज बिल्कुल बंद हो चुका है। जिसके लिए हजारों रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं और चक्की खडड के पानी का स्तर लगभग 03 फीट नीचे जा चुका है। मैनें यहां 1585 योजना के तहत सिंचाई योजना लगाई है जो कि मेरे अनुसार कांगड़ा जिले की सबसे बड़ी योजना होगी। परन्तु पानी का स्तर कम होने के कारण उसमें आगामी बर्ष में गहराई करने के लिए लगभग 01 लाख रु0 की जरुरत होगी। जो कि मेरे लिए मुश्किल है और यह एक आम जन–समस्या है। मेरा अनुरोध है कि हमारी उपर की तरफ की जमीन के लिए सिंचाई व्यवस्था की जाए, ताकि हम उसमें कृषि कर सकें। अगर विकास की बात करे तो हमारी पंचायत में कोई भी विकास नहीं हो रहा है और पंचायत के प्रस्तावित कार्यों के लिए पैसा भी नहीं आ रहा है और अगर खनन करना ही है तो हम क्या कर सकते हैं। यहां मैरा, बडराह से उपर खनन की अनुमति नही है और खनन होता है तो उपर का पानी नीचे आएगा जिससे पानी का स्तर ओर नीचे हो जाएगा और हो भी रहा है।	परियोजना नहीं है। यह खनन निजी भूमि के मालिक की अनापत्ति/लीज से ही किया जा रहा है। कशर यहां से दूर है तो प्रदूषण की समस्या नहीं होगी। यदि खनन करते समय धरातलीय जल आता है तो खनन बंद कर दिया जाएगा। इस खनन पटटे का खनन विभाग द्वारा भी निरीक्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त खनन विभाग से आने वाला जिला मिनरल फंड आपकी पंचायत के विकास पर खर्च होगा और हर ट्रैक्टर और ट्रक के 05 रु0 व 10 रु0 भी आपकी पंचायत को दिए जाएगें। परियोजना के मालिक से भी पंचायत के विकास में योगदान के लिए अनुरोध कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय द्वारा आग्रह किया कि आप इस परियोजना से सम्बन्धित अपने प्रश्न जरुर दर्ज करवाए। यह जन सुनवाई आपके सुझावों के लिए ही रखी गई है। ताकि उसे रिकार्ड कर भारत सरकार को भेजा जा सके और इसलिए मुझे यहां नियुक्त किया गया है। आप इस जन सुनवाई की कार्यवाही की प्रति प्रदूषण नियन्त्रंण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय धर्मशाला से प्राप्त कर सकते हैं।
4	श्री विजय कुमार, प्रधान ग्राम पंचायत हडल, तहसील नूरपुर जिला कांगड़ा हि0प्र0।	श्री विजय कुमार ने पुनः सभी उपस्थित लोगों से खनन परियोजना से सम्बन्धित सुझाव, विचार एवं शिकायत को रखने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि जैसा कि बताया गया है पंचायत को खनन विभाग से पैसा आता है परन्तु मेरे आज तक के कार्यकाल में खनन विभाग से कोई पैसा नहीं आया है और यदि विभाग इस पैसे को देता है तो हम इसे अपनी पंचायत के विकास पर खर्च कर सकते हैं।	खनन विभाग के अधिकारी द्वारा बताया गया कि यह जिला मिनरल फंड में जाता है जिसके अध्यक्ष उपायुक्त कांगड़ा स्थित धर्मशाला हैं। आप अपनी पंचायत के पंचायत निरीक्षक/सम्बन्धित अधिकारी द्वारा इस फंड को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें पटटा धारक द्वारा जितना भी मैटीरियल निकाला जाएगा उसका 10 रु0 प्रति टन के हिसाब से पंचायत को पैसा मिलेगा।

		अध्यक्ष महोदय द्वारा पंचायत में खनन पटटों बारे अवगत करवाने हेतू कहा गया।	खनन विभाग के अधिकारी द्वारा बताया गया कि वर्तमान में इस पंचायत के अन्तर्गत 03 खनन पटटे चालू है जोकि हि0 प्र0 सरकार से अधिकृत हैं। खनन पटटे के 02 अन्य मामले अनुमति के लिए उच्च स्तर पर लम्बित हैं।
		अध्यक्ष महोदय द्वारा हडल पंचायत में एकत्रित हुए फंड की सूचना प्रदान करने के लिए एक सप्ताह के भीतर निदेश दिए व पंचायत प्रधान से अनुरोध किया कि वह खनन विभाग से खनन से पंचायत को मिलने वाले फंड की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।	खनन विभाग के अधिकारी द्वारा बताया गया कि पंचायत उपरोक्त 03 खनन पटटों से पंचायत को प्राप्त होने वाले फंड की जानकारी खनन विभाग से प्राप्त कर सकते है।
		श्री विजय कुमार ने पूछा कि खनन में जे0सी0बी0 मशीन की अनुमति है या नहीं? उन्होंने कहा खनन से प्राप्त जिला मिनरल फंड आने वाला फंड पंचायत में आना चाहिए ताकि उस पैसे का प्रयोग पंचायत के विकास व खनन से प्रभावित क्षेत्रों में किया जा सके।	परियोजना के परामर्शदाता द्वारा बताया गया कि इस खनन में जे0सी0बी0 मशीन का प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि यह खनन का कार्य नदी से बाहर है और निजी भूमि में है(टैरेस डिपाजिट)। परन्तु नदी में खनन के लिए जे0सी0बी0 मशीन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, केवल लोंडिग के लिए ही जे0सी0बी0 को प्रयोग किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त जन सुनवाई के दौरान लिखित में कोई भी सुझाव, विचार एवं शिकायतें, प्राप्त नहीं हुई है।

इसके उपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा उपस्थित सभी का धन्यावाद किया और कहा कि सभी द्वारा अपने सुझाव निसंकोच किसी भय एवं दवाव के व्यक्त किए और इस बारे जो भी सुझाव दिए गये है, जिसकी संपूर्ण कार्यवाही को लिखित व वीडियोग्राफी द्वारा भी रिकार्ड किया गया है। जिसे हिमाचल प्रदेश सरकार को भेजा जाएगा और इस पर आगामी निर्णय बन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लिया जाएगा। उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारी गण एवं नजदीकी गांवों के प्रधान, उपप्रधान व स्थानीय निवासियों का जन सुनवाई में आने के लिए धन्यवाद किया।

अंत में डा0 आर0 के0 नडडा, वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, द्वारा पर्यावरण जन सुनवाई में उपस्थित सभी लोगों का जन सुनवाई में भाग लेने का आभार प्रकट किया ।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
कांगड़ा स्थित धर्मशाला,
जिला कांगड़ा हि0प्र0।

Annexure - II

Proceedings of Environmental Public Hearing for extraction/collection of sand, stone and bajri from Mohal Maira Batrah, Mauza Maira Doomal, Tehsil Nurpur, District Kangra H.P. in Khasra no. 724 over an area measuring 04-04-67 hect (pvt land, terrace deposit) as applied by Sh. Ashok Indoria, s/o Sh. Ram Dass, Prop: M/s Ankur Stone Crusher, Village Pail, PO Lodhwan, Tehsil Indora, District Kangra H.P. conducted on date: 18.06.2022 at Samudayik Bhawan Kayal, PO Khanni, Near Ram Leela Manch Kayal, Gram Panchayat Haddal, Tehsil Nurpur, District Kangra H.P.

Environmental Public Hearing on the proposal submitted by Sh. Ashok Indoria, s/o Sh. Ram Dass, Prop: M/s Ankur Stone Crusher, Village Pail, PO Lodhwan, Tehsil Indora, District Kangra H.P. for extraction/collection of sand, stone and bajri from Mohal Maira Batrah, Mauza Maira Doomal, Tehsil Nurpur, District Kangra H.P. in Khasra no. 724 over an area measuring 04-04-67 hect (pvt land, terrace deposit) was organized on 18/06/2022 in Samudayik Bhawan Kayal, PO Khanni, Near Ram Leela Manch Kayal, Gram Panchayat Haddal, Tehsil Nurpur, District Kangra H.P. by H. P. State Pollution Control Board, Regional Office Dharamshala as per notification No-SO-1533 dated 14.09.2006. This public hearing was organized by H.P. State Pollution Control Board under the Chairmanship of Sh. Rohit Rathour, ADM, Kangra at Dharamshala according to prescribed process of public hearing. The attendance sheet of participants present in the public hearing is enclosed (**Annexure-I**). The officers/officials from Industry Department, Mining Department, Jal Shakti Department, Public Work Department, were present during the public hearing. Sh. Vijay Kumar Prahdan Gram Panchayat Haddal, representatives of all nearby Panchayats, & local public of nearby Panchayats were also present during the public hearing.

First of all Dr. R.K. Nadda, Regional Officer, H. P. State Pollution Control Board, Regional Office Dharamshala welcomed the Chairman, officers and officials of various Departments, representatives of all Panchayats, local public, project proponents and their consultants. He requested everyone to express their views, comments, suggestions and objections regarding the proposal submitted without any fear and pressure, and Chairman was requested to permit to start the Public Hearing.

The Chairman permitted to start the process of public hearing and requested the project proponent to give the detailed report of their mining lease. The detailed description regarding this proposed Mining Area was given by the consultant of the Project Proponent. Further ADM, Kangra at Dharamshala-cum- Chairman Public Hearing Committee requested the people present in this Environmental Public Hearing to express their views, comments, suggestions and objections regarding this proposed Mining Lease without any fear and pressure from any corner.

Videography of the public hearing was carried out. Accordingly the proceedings of the Environmental Public Hearing were recorded and the same are reproduced here as under.

Sr. No.	Name & Address	Issues/Suggestions raised	Reply
1.	Smt. Shakuntla Devi, Village Kayla, PO Khanni, Tehsil Nurpur, District Kangra H.P.	Smt. Shakuntla Devi first thanked the Chairman, all the officers, staff members of various departments and Pradhan, Up Pradhan & local residents. She said that there is lot of water problem in my panchayat in summer. There is no water supply for my home and it was told to me to arrange the water pipes only then water will be supplied. So it is my request to kindly solve the issue of water please.	The Chairperson requested to all the people present in the public hearing to express their views, comments, suggestions and objections regarding this proposed Mining Lease only. However necessary directions to Jal Shakti Vibhag were passed on the spot.
		She said that our land is in the lower side of this project. The suface water level will go down due to this project and we shall face the water problem.	It was informed by the consultant of the project that the mining will be carried out in private land and not in the river bed. The allowed depth of mining is 2 mtr and if the ground water comes during the mining activity, the mining will be stopped. This mining project will not affect the water level. The mining department will also inspect the mining lease area regularly.
2	Sh. Vijay Kumar, Pradhan, Gram Panchayat Haddal, Tehsil Nurpur, District Kangra H.P.	He thanked the Chairman, all the officers, staff members of various departments and Pradhan, Up Pradhan & local residents. He requested to all the people present in the public hearing to express their views, comments, suggestions and objections regarding this proposed Mining Lease so that	----------------

		the necessary action could be done on the issues raised by them.	
3	Sh. Anil Sharma, Village Kayla, PO Khanni, Tehsil Nurpur, District Kangra H.P.	He said that mining should be banned. There are 04 villages: Kayla, Haddal, Badrah & Maira which depended totally on the crops and the upper area is totally barren. Either we should provide the irrigation water supply scheme for the upper land or the mining should be banned. There was proper water supply for irrigation 04 years back but now it has totally disturbed. Thousands of rupees are being spent for the maintenance of this. The water level of Chakki Khad has been down up to 3 feet. I have setup the irrigation scheme under 1585 scheme which was the biggest scheme in District Kangra according to me. Now aroung one lacs rupees are required to maintain the depth of the source of this scheme due to low water level, which is impossible for me to spend. He requested to provide the irrigation water supply for the upper land so that they can do agriculture activities in their fields. There is no development in our Panchayat and funds are not released for the sanctioned work of this Panchayat.	It was informed by the consultant of the project proponent that the joint inspection of this mining lease has been carried out by the committee and there is no water supply scheme and PWD Structure in the mining area according to them. This mining will be carried out in private land with the NOC of land owner has been obtained. The crusher site is away from here so no pollution will be caused. If any ground water comes during the mining, the mining activity will be stopped. The mining activities will be inspected by the mining department regularly. In addition the District Mineral Funds generated from mining activity will also be spent in the development of your panchayat and 05 to 10 rupees on every truck and trolley will be received by your panchayat. You can also approach the project proponent to associate for development of this panchayat. Therefore the Chairperson again requested to everyone to give their views, comments, suggestions and objections regarding this proposed Mining Lease. He conveyed that the public hearing is organized for your valuable suggestions and objections regarding this proposed Mining Lease so that the same could be

			sent to Government of India and I am deputed here for this purpose. You can also get the copy of the proceeding of this public hearing from the office of H. P. State Pollution Control Board, Regional Office Dharamshala.
4	Sh. Vijay Kumar, Pradhn, Gram Panchayat Haddal, Tehsil Nurpur, District Kangra H.P.	He again requested to all the people present in the public hearing to express their views, comments, suggestions and objections regarding this proposed Mining Lease. He said that as you told that Panchayat will get the funds from this mining project but our panchayat has never received any amount from the mining department since my tenure as Panchayat Pradhan. If the department has released this amount we can use this amount in Panchayat Development.	The official of mining department told that this amount goes to District Mineral Funds and the Chairperson of this committee is Deputy Commissioner, Kangra at Dharamshala. You can get these funds released through your Panchayat Inspector/Concerned Officer of your Panchayat. The Panchayat will get the money at the rate of Rs. 10 per Ton of the material extracted by the lease holder from the concerned Gram Panchayat area.
		The Chairpersons directed to Mining Department to informed about the total number of approved mining leases in the said Panchayat?	It was informed by the official of mining department that there are 03 numbers of mining leases which are operational in this Panchayat which as permitted by Government of HP. 02 number of mining leases are pending for approval at higher level.

		The Chairman directed to provide the information about the funds collected in Hadal Panchayat within a week and requested the Panchayat Pradhan to coordinate with Mining Department about the funds from mining to be received by the Panchayat.	The official of the Mining Department told that the Panchayat can get the information about the funds to be received by the Panchayat from the above 03 mining leases from the Mining Department.
		Sh. Vijay Kumar asked whether the JCB is allowed in mining activity or not? He requested that the funds of this Panchayat should be released so that this amount could be used in Panchayat development as well as in those areas which will be affected with this mining.	It was told by the consultant of the project proponent that the JCB is allowed in this mining project because this mining is not in river bed and will be carried out in Private land (Terrace Deposit). But the JCB is not allowed in mining from river. Incase of river bed JCB can be used only for the loading purpose.

In addition, no written issues/suggestions were received during the public hearing.

After this, the Chairman thanked all those who were present during the public hearing and said that the suggestions were given by the public without any fear and pressure. This all has been recorded in written and by videography also. This will be sent to Govt. of Himachal Pradesh for further necessary action. At last, the Chairman thanked all the Officers, Officials of various Departments, and Pradhan, and local residents present in the public hearing.

At the end, Dr. R.K. Nadda, Regional Officer, H. P. State Pollution Control Board thanked all the officers of different Departments and the public for attending the Public Hearing and concluded the public hearing.

Additional District Magistrate
Kangra at Dharamshala
District Kangra (H.P.)